विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 9-6-23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

9-6-23 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है । अवकाश पर है / पदरिक्त है। अत: पत्रावली दिनांक 21-8-23 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

21-8-23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जो शा० प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थिया का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 98/23 प्रा.पत्र

1– श्रीमती भागुती देवी प0 श्री नन्दलाल गाडरी निवासी - किशनपुरा तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री पेमा S/o श्री भोला भील निवासी - किशनपुरा तहसील - माण्डल (कॉरा)
(हस्ताक्षित प्रा0 पत्र सम्मत)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक– 29-08-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का आत्मास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 579/516, 572/517 कुल किता 02 रकबा 1.5176 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19-05-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का आत्मास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न 579/516, 572/517 कुल किता 02 रकबा 1.5176 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आत्मास को 800/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए गुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख [illegible] नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा